62

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र.   / 2017 निगरानी

कुँवरपाल पुत्र श्री नन्दरूप जाति कुशवाह (काछी) निवासी ग्राम हिंगौना कला तहसील व जिला मुरैना म.प्र.

..................प्रार्थी

बनाम

1. विजय सिंह
2. रामहेत पुत्रगण किशनलाल
3. नरोत्तम
4. रामराज पुत्रगण मुरारी
5. कप्तान
6. सुरेश
7. दिनेश
8. हरिश्चंद
9. रामदयाल पुत्रगण देवीराम
10. लज्जाराम पुत्र श्री बाबूलाल
11. सियाराम
12. मवसिया
13. सुरेश पुत्रगण ल्होरे
14. महिला मीरा पुत्री ल्होरे

15. पोहपसिंह

16. नाहरसिंह पुत्रगण श्री रामभजन

17. म. मंजू पुत्री पोहपसिंह

18. म. गुड्डी पत्नी श्री पोहपसिंह

19. वीधाराम पुत्र श्री नन्दरूप फोत वारिसान

20. जसराम

21. रामप्रसाद पुत्रगण श्री बीधाराम

22. म. नारायणी पुत्री रामनाथ

23. बारेलाल पुत्र श्री राजाराम

24. कमलेश ना.वा. पुत्र राजाराम सर. भाई खुद बारेलाल

25. म. मुन्नी पुत्री रामसिंह

26. ग्यासी पुत्र श्री मंगलिया

27. रामजीलाल

28. रामदुलारे पुत्रगण मदनू

29. रामचरन पुत्र खूबा

30. म. शांती वेवा पंचा

31. गिर्राज पुत्र पंचा

32. आशाराम पुत्र तेजू

33. चूऊ उर्फ सुल्तान

34. प्रकाश

35. जगदीश

36. पप्पू पुत्रगण दौलतराम

37. राधेलाल ना.वा. पुत्र पतिराम सर. पिता पतिराम

38. हरीसिंह

39. मोहनसिंह

40. सुल्तानसिंह

41. पप्पू ना.वा. सरपरस्त पिता सुन्दरा सभी जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम हिगौनाकला पर. व जिला मुरैना म.प्र्

............अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध ओदश दिनांक 24-07-2017 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 290 / 2016 अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू- राजस्व संहिता

माननीय महोदय ,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे निम्न लिखित प्रस्तुत है-

1. यह कि कृषि भूमि खाता क्रमांक 404 जिनके सर्वे क्रमांक 1252 /3 रकवा 0.23 आरे , सर्वे क्रमांक 1253 रकवा 0.20 आरे , सर्वे क्रमांक 1254/ 2 रकवा 0.08 आरे, सर्वे क्रमांक 1255 रकवा 0.17 आरे , सर्वे क्रमांक 1256 रकवा 0.29 आरे , सर्वे क्रमांक 1259 रकवा 0.24 आरे , सर्वे क्रमांक 1263/2 रकवा 0.04 आरे ,सर्वे क्रमांक 1264 रकवा 0.06 आरे , सर्वे क्रमांक 1265 रकवा 0.06 आरे , सर्वे क्रमांक 1266 रकवा

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भूरा/2017/2814

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10–11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना 290/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.7.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार मुरैना द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण कमांक 7/07–08/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 30.6.08 को फर्द अनुसार बटवारा स्वीकृत किया गया। इसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा 30.11.16 को आदेश पारित किया गया । उंसके विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना 290/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.7.17 उचित होने से स्थिर रंखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	